भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3739

सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995

3739. श्री विजय बघेल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत एक सांविधिक योजना कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के आंतरिक न्याय संबंधी नियमों की अवहेलना करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन न्यास नियमों के आधार पर सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के पात्र कर्मचारियों के उच्चतर पेंशन दावों को अस्वीकार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2014 में जब पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था, तो ऐसी कोई शर्त अधिरोपित नहीं की गई थी; और

(घ) ईपीएफओ की उच्चतर पेंशन पात्रता के लिए न्यास नियमों को पूर्व शर्त के तौर पर व्याख्या करने को अनुमति देने वाले कानूनी आधार का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के असंशोधित पैरा 11(3) के परंतुक के तहत उच्चतर वेतन पर अंशदान, संयुक्त विकल्प के रूप में अपने नियोक्ता के माध्यम से व्यक्त किया गया बड़ी भविष्य निधि या बड़ी पेंशन के बीच कर्मचारियों का सोच समझकर लिए गए विकल्प का निर्णय है। सेल-भिलाई स्टील प्लांट के मामले में उच्चतर वेतन पर ईपीएस में अंशदान हेतु यह विकल्प उनके छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट के लिए बनाए गए प्रासंगिक

नियमों के अनुसार बनाया गया है। इसलिए, छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्टों और ईपीएस के ट्रस्ट नियमों के बीच कोई टकराव नहीं है।

ईपीएफओ ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि ईपीएस से बाहर निकलने वाले कर्मचारियों को बड़ी भविष्य निधि या बड़ी पेंशन के बीच अपने विकल्प का पालन करना होगा। इस तर्क को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार बी [2022]11 एससीसी 959 में बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि पेंशन के लिए कर्मचारियों के अधिकार ईपीएस से बाहर निकलने के समय ही स्पष्ट हो जाते हैं, जो कि इस तरह के बाहर निकलने से पहले उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार होता है। यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उस फैसले के पैरा 44(iv) का अपवाद उन कर्मचारियों के लिए था, जो दिनांक 01.09.2014 को ईपीएस से पैरा 11(3) के परंतुक को हटाए जाने के समय तक बड़ी भविष्य निधि या बड़ी पेंशन के बीच निर्णय नहीं ले पाए थे। तदनुसार, ईपीएफओ ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अक्षरशः क्रियान्वित किया है।

इसके अलावा, ट्रस्ट नियम ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 27कक द्वारा भी निर्देशित होते हैं, जहां परिशिष्ट क की शर्त संख्या 10 के तहत, ईपीएफ योजना, 1952 के तहत मजदूरी सीमा में वृद्धि के साथ लागू मजदूरी सीमा स्वतः बढ़ जाएगी। तदनुसार, 15,000 रुपये तक के वेतन पर पेंशन फंड में अंशदान अधिनियम और योजना की शर्त के अनुसार है।

*****